



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022020-216267  
CG-DL-E-19022020-216267

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 698]  
No. 698]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 2020/माघ 30, 1941  
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2020/MAGHA 30, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2020

का.आ. 766(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निम्नलिखित व्यक्तियों को पांच वर्ष की अवधि के लिए, पद के प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सदस्य के रूप में नामित किया है:—

1. श्री कृष्णा स्वरूप वत्सा
2. श्री राजेंद्र सिंह
3. ले. ज. (सेवा निवृत्त) सय्यद अता हसनेन

[फा. सं. 44-8/2019-एन.डी.एम.-II]

संजीव कुमार जिंदल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th February, 2020

**S.O. 766(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (2) of Section 3 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Chairperson of the National Disaster Management Authority (NDMA) has nominated the following persons as Members, NDMA for a period of five years with effect from the date of assumption of charge of the post, or until further orders, whichever is earlier:—

1. Shri Krishna Swaroop Vatsa
2. Shri Rajender Singh
3. Lt. Gen. (Retd.) Syed Ata Hasnain

[F. No. 44-8/2019-NDM-II]

SANJEEV KUMAR JINDAL, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2020

**का.आ. 767(अ).**—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अध्यक्ष ने श्री कमल किशोर को 16.2.2020 से पांच साल के नए कार्यकाल के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सदस्य के रूप में नामित किया है।

[फा. सं. 44-8/2019-एन.डी.एम.-II]

संजीव कुमार जिंदल, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th February, 2020

**S.O. 767(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (2) of Section 3 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Chairperson of the National Disaster Management Authority (NDMA) has nominated Shri Kamal Kishore as Member, NDMA for a fresh term of five years with effect from 16.2.2020, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 44-8/2019-NDM-II]

SANJEEV KUMAR JINDAL, Jt. Secy.